DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email---Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part---2- Date--13-07--2020
Mo.No--9234999361.

ब्रिटिश लोकसभा अथवा कॉमन सभा की संरचना, अधिकार और कार्यों का वर्णन कीजिए।

ब्रिटिश संसद के दो भाग हैं-लोकसभा एवं लार्ड सभा।*1911* का ऐक्ट पास हुआ तब से लार्ड सभा की शक्ति बहुत कम हो गयी थी तथा लोकसभा अधिक शक्तिशाली हो गई।आज लोकसभा को बहुत से अधिकार प्राप्त है।उनके सामने लार्ड सभा को झुकना पड़ता हैं। प्रधानमंत्री इसी सभा से चुना जाता है।वित्त आदि पर इसी का पूरा नियंत्रण होता है।

लोकसभा का प्रत्येक सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है।पहले इंगलैण्ड मे दूसरा मतदान की प्रथा थी, किन्तु अब उसे समाप्त कर दिया गया है तथा अब एक सदस्य केवल एक वोट दे सकता है।सन् *1928* के जन प्रतिनिधित्व ने समान मताधिकार द्वारा हर वयस्क को जो *21*वर्ष की आयु वाला या इससे ऊपर है, मत का अधिकार दिया गया है।

लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक नहीं कि उम्मीदवार उसी क्षेत्र से उठे जहाँ कि उसका जन्म स्थान है, ब्लकि यह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उठ सकता है यदि उसका नाम उस क्षेत्र के उम्मीदवारों की सूची में है। उसकी योग्यता कोई लिखित रूप में नहीं है।ब्लकि यह ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला हो और उसकी आयु नियामानुसार हो वह निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार रहे।

लोकसभा का कार्यकाल सन् *1911* मे घटाकर *5* वर्ष कर दिया गया।यदि लोकसभा का केबिनेट से किसी बात पर मतभेद हो जाता है या विशेष बात पर आ पडे जिसके लिए चुनाव की आवश्यकता हो तो प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह लोकसभा की अवधि से पूर्व सम्राट द्वारा भंग करवा कर नई लोकसभा का चुनाव करा सकता है।

लोकसभा का चुनाव हो जाने के बाद उनका कार्य अध्यक्ष का चुनाव करना होता है।अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सारजेंणट एट आऱ्स तथा उसके नायक एवं क्लर्क तथा उसके दो सहायक होते हैं जिनको राजा प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर नियुक्त करता है।

सदन के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं-*1.* सभापति *2.* उपसभापति।ये सदन द्वारा अपने समर्थकों में से चुने जाते हैं।ये पद राजनीतिक है।यदि सरकार अपने पद से गिर जाय तो वे व्यक्ति भी त्याग-प्रत्र देते हैं।अध्यक्ष के प्रमुख कार्य इस प्रकार है---

*1.*लोकसभा से भेजे या लौटाये जाने वाले सब विधेयक को पृष्ठाकिंत करना तथा सदन के सब आदेशों पर हस्ताक्षर करना *2.*सदन की कार्यवाही के अभिलेख तैयार करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना।

अधिकार और कार्य :------

ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोकसभा का स्थान महत्वपूर्ण है उसके कार्यों मुख्यतया निम्माकित भागों में बाँट सकते हैं।

*1.*विधि निर्माण---लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है।संसार में ब्रिटिश लोकसभा ही विधि निर्माण करने वाली संस्था है।यद्यपि विधि निर्माण में हाउस ऑफ लार्डस का ही हाथ रहा है, किन्तु यदि वह किसी विधेयक को कानून बनाने से रोकती है तो वह विधेयकों को केवल *1* वर्ष के लिए रोक सकती है।

*2.*वित्त पर नियंत्रण:--लोकसभा का दूसरा कार्य वित्त पर नियंत्रण करना है।लोकसभा यह देखती है कि विभिन्न विभागों पर क्या क्या व्यय किया जाये, घाटा किस प्रकार पूर्ण किया जाये।धन विधेयक लोकसभा में ही पेश करते हैं।भिन्न भिन्न मदो मे घटा किस प्रकार का भी अधिकार इसी सभा को प्राप्त होता है।ऐसे कुछ तरीक़े द्वारा लोकसभा वित्त विधेयक पर नियंत्रण रखती है जो निम्नलिखित हैं

क.संसद को इस बात का पूर्णरुपेण ध्यान होता है कि व्यय उसी प्रकार हो जैसा कि उसने पारित किया है।

ख.धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते है और ऐसे बिलों पर पूर्ण सभा के सदस्यों द्वारा ही विचार किया जाता है।पूर्ण समिति धन के खर्च के अनुसार बजट पास करती है।

*3.*कार्यपालिका पर नियंत्रण -----लोकसभा का तीसरा कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है।लोकसभा ही जनता का प्रतिनिधि होने के नाते कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करती है।तथा जनता के हित में शासन चलवाते हैं।मंत्री लोकसभा के प्रति कामों का पूर्ण उत्तरदायित्व रखते हैं।वे अपने निति सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर लोकसभा को देते हैं।

*4.*जनता के शिकायतों का निवारण----लोकसभा का चौथा कार्य जनता की शिकायत सुनना तथा उन्हें दूर करना होता है।लोकसभा ही वह स्थान है जहाँ जनता के प्रति किये गए अत्याचार रखें जाते हैं।लोकसभा का प्रत्येक सदस्य उनके विषय से संबंधित मंत्रियों से पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा ही लोगों को राजनीतिक तथा भावी प्रशासक बनाना सिखाती है।

आगे, धन्यवाद।

2020-07-13
From vivo Note

Scanned with CamScanner